

K E R I N G



KERING GROUP
आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक
भागीदार चार्टर

मई 2026

यह चार्टर का शिष्टाचार मशीन अनुवाद है, जिसका अंग्रेजी संस्करण संदर्भ पाठ है और विसंगति की स्थिति में वही मान्य होगा।

विषय-सूची

परचिय प्रस्तावना	3
परभाषाएँ	4
आवश्यकताएँ	5
नयित्रण और जाँचें	11



1. परिचय प्रस्तावना

हमारी गतिविधि के हर चरण में और हमारे सभी हितधारकों के साथ एवं उनके माध्यम से नैतिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रखना, Kering की सत्यनिष्ठा की संस्कृति के केंद्र में है। Group और इसके Houses यह पक्का करने की कोशिश करते हैं कि उनकी व्यावसायिक प्रथाएँ प्रासंगिक लागू कानूनों, विनियमों और उच्चतम नैतिक मानकों का अनुपालन करती हों, और वे अपने आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए भी यह आवश्यक बनाते हैं कि वे इन कानूनों और सिद्धांतों का अनुपालन करें। इस उद्देश्य से, Kering, इसके Houses और इसकी अन्य सहायक कंपनियों ("Kering Group" या "Kering") के आपूर्तिकर्ताओं ("आपूर्तिकर्ता") और व्यावसायिक भागीदारों ("व्यावसायिक भागीदार") से यह अनुरोध है कि वे इस आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार चार्टर ("चार्टर") का पालन करें, यह चार्टर Kering की आचार संहिता के पूरी तरह अनुरूप है और इसमें Kering के आपूर्तिकर्ताओं तथा व्यावसायिक भागीदारों पर लागू सभी मूलभूत आवश्यकताओं की परिभाषाएँ हैं।

Kering के आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को Kering ईकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए Kering का यह लक्ष्य है कि वह Kering Group के सतत आपूर्ति श्रृंखला सुधार में सकारात्मक योगदान देने के लिए उन्नत मानकों को लागू करे और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आपूर्तिकर्ताओं तथा व्यावसायिक भागीदारों के साथ एक साझा यात्रा शुरू करे। Kering Group ऐसे मानकों तक पहुँचने में सभी आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों की सहायता को तत्पर है और केवल वही चीज़ें आवश्यक कर रहा है जो वह खुद पर लागू करता है; साथ ही वह निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के लिए भी तैयार है:

- आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों द्वारा Kering आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार चार्टर का पालन किया जाना, Kering Group के साथ हस्ताक्षरित करार का और जो भी अन्य व्यावसायिक संबंध हो उसका एक अनिवार्य प्रावधान है;
- चार्टर का पालन करना स्वीकार कर लेने पर आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार, Kering के साथ संपन्न विशिष्ट करार के संदर्भ में, एतद् में निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपने सभी कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने और चार्टर का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसके सिद्धांतों का उनके बीच प्रसार करने पर भी सहमत होते हैं;
- Kering अपने आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए यह आवश्यक करता है कि वे एक जिम्मेदार मूल्य श्रृंखला में योगदान करने के लिए उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में उनकी संबद्ध कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं तक वर्तमान चार्टर और उसकी आवश्यकताओं का प्रसार करें और चार्टर व उसकी आवश्यकताओं के अनुपालन को बढ़ावा दें;
- यदि वर्तमान चार्टर में Kering द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत और आवश्यकताएँ लागू कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित मानकों से उच्चतर मानक प्रस्तुत करती हैं, तो चार्टर प्रभावी होगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप कोई अवैध गतिविधि न हो;
- आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार इस चार्टर को लागू करने में कोई गंभीर चुनौती आने पर या इसके किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन की स्थिति में Kering (ग्रुप स्तर पर और/या इसके Houses) को अवश्य सूचित करेंगे; और
- किसी आपूर्तिकर्ता या व्यावसायिक भागीदार द्वारा चार्टर के किसी उल्लंघन के फलस्वरूप, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, संबंधित व्यावसायिक संबंध समाप्त किया जा सकता है।

Kering अपने आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के साथ अपने संबंध को सत्यनिष्ठा के साथ संभालने का वचन देता है।

2. परिभाषाएँ

- आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार: Kering Group की किसी भी कंपनी के साथ प्रथम श्रेणी का व्यावसायिक संबंध रखने वाला ऐसा कोई भी तृतीय-पक्ष जो वितरक, भू-स्वामी इत्यादि सहित वस्तुएँ, कच्चा माल या सेवाएँ प्रदान करता है
- Kering Group या Kering: इसमें Kering SA और उसकी सहायक कंपनियाँ (उसके Houses सहित) शामिल हैं
- अवश्य/आवश्यक और करना/होना चाहिए (Must और Shall के सभी हिंदी अनुवाद): एक अनिवार्य आवश्यकता दर्शाता है
- चाहिए और अपेक्षित है: एक ऐसी अनुशंसित प्रथा दर्शाता है जो अनिवार्य नहीं है

3. आवश्यकताएँ



I. लागू कानूनों का अनुपालन

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार अपने व्यवसाय से और उन देशों से, जहाँ गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, से संबंधित सभी लागू और प्रासंगिक कानूनों, विनियमों और मानकों का, तथा जहाँ लागू हो वहाँ, सभी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और संधियों का भी, अवश्य पालन करेंगे।

II. एक ज़िम्मेदार उद्यम बनें

मानवाधिकारों का सम्मान

Kering अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देता है। इस उद्देश्य से, आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार सभी मानवाधिकारों और मौलिक संदर्भ मानकों, जिनमें विशेष रूप से मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मूलभूत कन्वेंशन और विशेष रूप से बाल श्रम उन्मूलन तथा गुलामी एवं जबरन या अनिवार्य श्रम के उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन के, व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांतों के, ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के दिशानिर्देशों के, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के, फ्रान्सीसी कर्तव्य देखभाल कानून के तथा मानवाधिकारों के सम्मान और सावधानी के कर्तव्य से संबंधित जो भी अन्य कानून या विनियम हों उनके प्रावधान शामिल हैं, का अवश्य अनुपालन करेंगे।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों से यह भी अपेक्षित है कि उन्होंने Kering की वेबसाइट पर उपलब्ध Kering मानवाधिकार नीति को पढ़ और समझ लिया हो।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने खुद के आपूर्तिकर्ताओं की, उप-आपूर्तिकर्ताओं की और जो भी हाल ही में अधिग्रहीत कंपनियाँ हों उनकी मानवाधिकार एवं कर्तव्य देखभाल संबंधी उचित पड़ताल तथा सोशल ऑडिट करनी चाहिए।

बाल श्रम का निषेध

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि उनके संचालन और आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम का उपयोग न हो; और वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य के संबंध में ILO द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय मानकों का अवश्य पालन करेंगे।

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार भर्ती के समय श्रमिकों की आयु अवश्य सत्यापित करेंगे (उचित दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड रखने के सिस्टम शामिल) और ऐसे किशोर श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेंगे जिनकी आयु 15 वर्ष या अनिवार्य शिक्षा पूरी करने की आयु में से जो भी अधिक हो उससे कम है। साथ ही, 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिकों को ऐसी परिस्थितियों में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिनसे उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या मनोबल को नुकसान होने की संभावना हो (जैसे, अत्यधिक घंटे काम करना, रात्रि पाली में काम करना, खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना इत्यादि)।

बाल श्रम होने के फलस्वरूप Kering और आपूर्तिकर्ताओं और/या व्यावसायिक भागीदारों के बीच जो भी व्यावसायिक संबंध हो उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

आधुनिक गुलामी का निषेध

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने संचालनों और आपूर्ति श्रृंखला में आधुनिक गुलामी की संलिप्तता और उसके उपयोग को रोके, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो, जैसे जबरन या अनिवार्य श्रम, कारागार श्रम, मानव तस्करी, ऋण बंधन, श्रमिकों के पहचान दस्तावेजों या वेतन को रोकना, भर्ती पर या कर्मचारियों पर कोई शुल्क, या आने-जाने की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगाना हो।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को श्रमिकों को एक ऐसी भाषा में लिखित रोज़गार अनुबंध देना होगा जिसे वे समझ सकें, और जिसमें प्रासंगिक अधिकारों व रोज़गार की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख हो। आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए उचित सावधानी बरतना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कच्चा माल ज़िम्मेदार तरीके से प्राप्त किया जाए और प्राप्ति का तरीका सशस्त्र संघर्ष, जबरन श्रम या अन्य संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों के वित्तपोषण में योगदान न दे।

आधुनिक गुलामी होने की स्थिति में Kering और आपूर्तिकर्ताओं और/या व्यावसायिक भागीदारों के बीच जो भी व्यावसायिक संबंध हो उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

उचित कार्य घंटे और उपयुक्त मुआवज़ा सुनिश्चित करना

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों तथा उचित कार्य घंटों को बढ़ावा देना होगा। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जिससे, उसकी प्रकृति के कारण या वह जिन परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है उन परिस्थितियों के कारण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सत्यनिष्ठा या नैतिकता के खतरे में पड़ने की संभावना है, उसे निषिद्ध किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम करने के समुचित उपाय लागू किए गए हों।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन आवश्यक है। कर्मचारियों के प्रति सप्ताह मानक कार्य घंटे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होंगे।

ओवरटाइम असाधारण, स्वेच्छिक और उचित होगा तथा उसका भुगतान स्थानीय लागू कानूनों के अनुसार प्रीमियम दर पर किया जाएगा; और उन देशों में जहाँ ऐसे कानून नहीं हैं, वहाँ ओवरटाइम का भुगतान कम-से-कम उनकी नियमित प्रति घंटा भुगतान दर से अधिक दर पर किया जाएगा। कर्मचारियों को उचित दैनिक और साप्ताहिक विश्राम अवधियों का लाभ दिया जाएगा।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के श्रमिकों को आपसी सहमति के अनुसार और समय पर भुगतान किया जाएगा तथा उनका वेतन लागू कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन या प्रचलित उद्योग मानक में से जो भी अधिक हो उससे कम नहीं होगा। साथ ही, आपूर्तिकर्ता उनके कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे।

साथ ही, आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और श्रमिक संघ के अधिकारों का सम्मान आवश्यक है।

शिकायत तंत्र अपनाना

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को उनके कर्मचारियों को प्रतिशोध के भय के बिना समस्याओं की सूचना देने में सक्षम बनाने वाला एक शिकायत तंत्र स्थापित करना चाहिए और इसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को चार्टर के सिद्धांतों अपने सभी कर्मचारियों तक उपयुक्त तरीके से प्रसारित करने चाहिए, उन सभी भाषाओं में और उन सभी माध्यमों से जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि सभी कर्मचारी उक्त सिद्धांतों को भली-भाँति समझ लें।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि मानवाधिकारों और सावधानी के कर्तव्य से संबंधित जो भी प्रासंगिक चिंताएँ या समस्याएँ हों उन्हें वे Kering की वेबसाइट पर उपलब्ध Kering व्हिसलब्लोइंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए सूचित करें, तथा आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को इस प्लेटफॉर्म का लिंक अपने कर्मचारियों से साझा करना चाहिए।

समुदायों और मूल निवासियों के भूमि अधिकारों का संरक्षण

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने संचालनों के संबंध में स्थानीय समुदायों और मूल निवासियों का, विशेष रूप से उनकी सांस्कृतिक विरासत, भूमि अधिकारों, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय अधिकारों (स्वच्छ जल तथा स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण के अधिकार सहित) का संरक्षण करना होगा। जो भी प्रभावित समुदाय हों उनसे आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को संवाद, बहाली रणनीतियों या सहायता पहलों के ज़रिए जुड़ना चाहिए।

पर्यावरण का सम्मान

Kering का यह दृढ़ विश्वास है कि व्यवसाय और उसके भविष्य की मज़बूती के लिए पर्यावरण का सम्मान आवश्यक है।

इस उद्देश्य से, आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को आवश्यक परमिटों और प्राधिकारीकरणों सहित सभी लागू पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करना होगा, और Kering द्वारा माँगे जाने पर अनुपालन दस्तावेज़ साझा करने होंगे। जब कानूनी रूप से आवश्यक किया गया हो, तब उन्हें पर्यावरण-संबंधी समस्याओं की पहचान करने और उन्हें न्यूनतम करने की एक समुचित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लागू करनी होगी।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को स्थायित्व, जैव-विविधता, जलवायु, अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन, चक्रीयता और पशु कल्याण के संदर्भ में उच्चतम मानक बनाए रखते हुए एक एहतिता सिद्धांत का और प्रकृति के प्रति संपूर्णतावादी नज़रिये का पालन करना चाहिए।

उत्पादन वस्तुएँ या कच्चा माल प्रदान करने वाले आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों से यह भी अपेक्षित है कि उन्होंने Kering की वेबसाइट पर उपलब्ध Kering सतत उत्पादन मानकों ("Kering मानक") को पढ़ और समझ लिया हो।

साथ ही, आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को ऐसे भागीदारों, ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना होगा जो सामाजिक और पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करते हों।

स्थायित्व और जलवायु के लिए प्रतिबद्धता

जो भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव हो उसे न्यूनतम करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को और अधिक पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देने, उनकी गतिविधियों के प्रभाव को मापने और उनका पर्यावरणीय पदचिह्न कम करने पर लक्षित पहलें करनी चाहिए।

जब कानूनी रूप से आवश्यक किया गया हो, तो आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने, अपनी तकनीकों का विकास करने और चक्रीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने हेतु नवाचार करने के लिए अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन को ट्रैक करना होगा। जहाँ लागू हो वहाँ, उन्हें पर्यावरण संरक्षण में उनके प्रयासों को मान्यता देने वाले प्रमाणपत्र हासिल करने की कोशिश भी करनी चाहिए।

जल और अपशिष्ट प्रबंधन

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को जल और अपशिष्ट से संबंधित सभी लागू कानूनों और परमिटों का अनुपालन करना होगा – इसमें पर्याप्त अपशिष्ट और अपशिष्ट जल प्रबंधन सुनिश्चित करना, जल गुणवत्ता का संरक्षण करना, अपशिष्ट एवं जल-दूष उपकरण अपनाना और जल संकट के प्रति अपने जोखिम को सीमित करना शामिल है, लेकिन वह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

जैव-विविधता का संरक्षण

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपना व्यवसाय इस प्रकार संचालित करना चाहिए जिससे जैव-विविधता का संरक्षण हो और सभी लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियाँ जंगलों की गैर-कानूनी कटाई से न जुड़ी हों और वे सभी संबंधित विनियमों का अनुपालन करती हों।

स्थायी उत्पाद और गतिविधियाँ

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को कच्चे माल और विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग Kering मानकों के अनुरूप करना चाहिए और सामग्री ज़िम्मेदारी से प्राप्त करनी चाहिए। इस उद्देश्य से, उत्पादन में लगे आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को Kering स्थायित्व सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को पता लगाने की क्षमता यानी ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रासंगिक होने पर सूचना साझा करनी चाहिए।

रासायनिक पदार्थ प्रबंधन

उत्पादन चरण में लगे आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के पास एक सुदृढ़ रासायनिक प्रबंधन प्रणाली होनी आवश्यक है और उन्हें उनके उत्पादों के उत्पादन, प्रक्रियाओं तथा आपूर्ति श्रृंखला में Kering Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) और Product Restricted Substances List (PRSL) के अनुपालन की गारंटी देनी होगी तथा पर्यावरण को प्रदूषित करने या व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाने से बचना होगा।

पशु कल्याण

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपनी सभी पशु-आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में पशु कल्याण के उच्चतम मानकों को लागू और सत्यापित करना होगा। उनसे यह भी अपेक्षित है कि उन्होंने Kering की वेबसाइट पर उपलब्ध Kering पशु कल्याण मानकों को पढ़ और समझ लिया हो।

ग्रीनवॉशिंग

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार किसी भी प्रकार की ग्रीनवॉशिंग, जिसमें अपने उत्पादों, सेवाओं या व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में भ्रामक, निराधार या अतिरंजित पर्यावरणीय दावे करना शामिल है, में संलग्न नहीं होंगे।

III. एक ज़िम्मेदार नियोक्ता बनें

एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना तथा कार्यस्थल पर भलाई को बढ़ावा देना

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने कर्मचारियों की और उनके स्थलों पर कार्यरत सभी व्यक्तियों की शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करनी होगी। आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को सभी लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन करना होगा, स्पष्ट कार्यविधियाँ और प्रशिक्षण लागू करने होंगे, जोखिम रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा और कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरण मुफ्त में प्रदान करने होंगे।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को सभी कर्मचारियों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यकता पड़ने पर आवास तक पहुँच प्रदान करनी होगी।

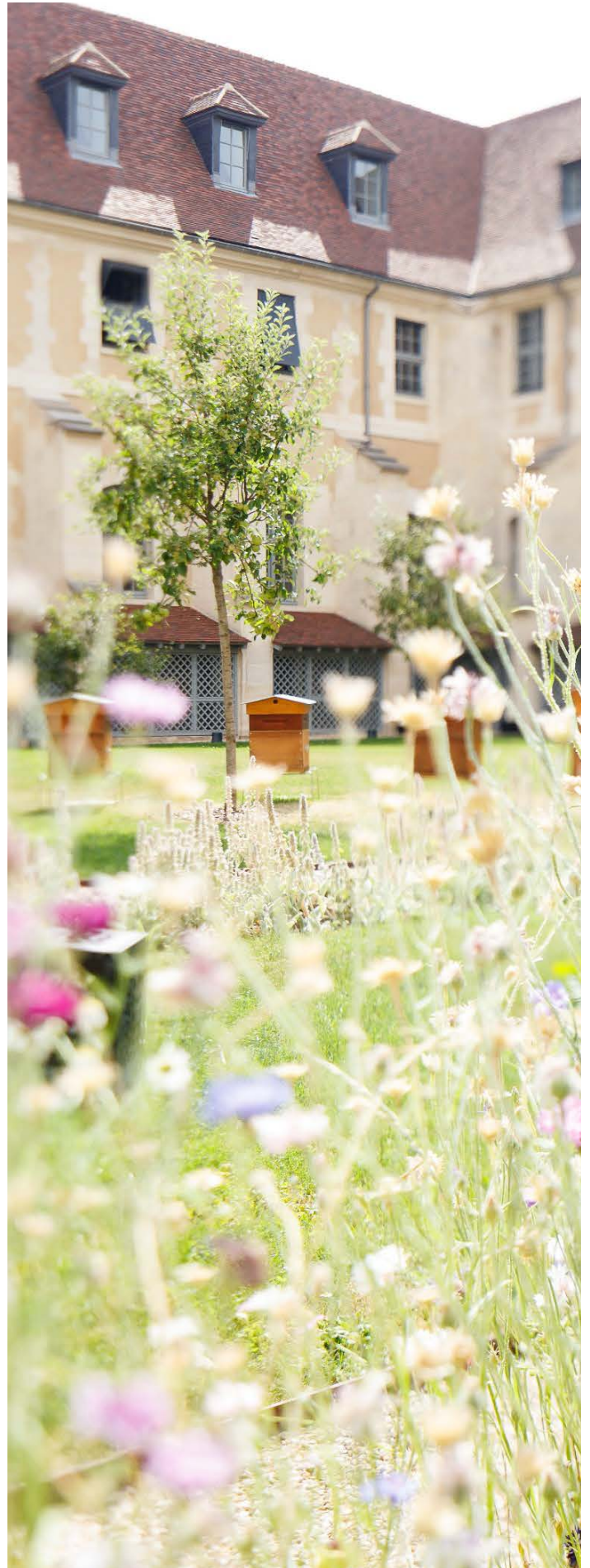
आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को उत्पाद स्वास्थ्य और सुरक्षा पर लागू सभी प्रासंगिक विनियमों का अनुपालन करना होगा और अपने सभी उत्पादन, प्रक्रमण तथा वितरण शृंखलाओं में नियंत्रण उपाय लागू करने होंगे।

भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से मुक्त वातावरण बनाना तथा समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देना

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना होगा और सभी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न को प्रतिबंधित करना होगा, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक और यौन उत्पीड़न को, जिसमें यौन प्रकृति की कोई भी धमकी, डराना या ज़बरदस्ती करना अथवा यौन अनुग्रह के बदले किसी प्रतिफल का वादा करना शामिल है।

साथ ही, आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को सभी प्रकार के भेदभाव को, विशेष रूप से जातीय या राष्ट्रीय मूल, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि, संघ संबद्धता, लिंग, आयु, यौन झुकाव या दिव्यांगता पर आधारित भेदभाव को, प्रतिबंधित करना होगा और समावेशी कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देना होगा। प्रवासियों और निरक्षर श्रमिकों जैसे असुरक्षित कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को सभी श्रमिकों को समान अवसर प्रदान करने होंगे और विशेष रूप से सभी पुरुषों और महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर समान, निष्पक्ष और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा।





IV. एक ज़िम्मेदार व्यावसायिक भागीदार बनें

बौद्धिक संपदा का संरक्षण

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करने वाले सभी लागू कानूनों का अनुपालन करना होगा। आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपनी, Kering की या किसी अन्य पक्ष के व्यावहारिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना होगा और वे उनका उपयोग केवल उनके उद्दिष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ही करेंगे।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को नकली उत्पादों के जोखिम को रोकना और सीमित करना चाहिए तथा पता लगाने और सूचना देने की प्रभावी प्रक्रियाएँ लागू करनी चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संदर्भ में एक ज़िम्मेदार नज़रिया अपनाना होगा। उन्हें उनके उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किए जाने की स्थिति में Kering को सूचित करना होगा।

संवेदनशील जानकारी और व्यवसाय गोपनीयता का संरक्षण

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को Kering द्वारा साझा की गई सभी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा और का संरक्षण करना होगा – इसका यह अर्थ है कि वे ऐसी जानकारी केवल आंतरिक रूप से अधिकृत व्यक्तियों से, जानने-की-आवश्यकता के आधार पर और कंपनी-अनुमोदित साधनों या सुरक्षित नेटवर्क के ज़रिए ही साझा करेंगे। यदि कोई संदिग्ध उल्लंघन या भूलवश/दुर्घटनावश प्रकटन होता है तो आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को Kering को उसकी सूचना तत्काल देनी होगी और एक व्यवसाय निरंतरता योजना लागू करनी होगी।

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार वास्तविक या संभावित प्रतिस्पर्धियों से कोई भी संवेदनशील वाणिज्यिक जानकारी साझा नहीं करेंगे।

व्यावसायिक भागीदार संबंधों का प्रबंधन

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने खुद के आपूर्तिकर्ताओं का चयन सावधानी से करना होगा और इस प्रकार चयनित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लागू कानूनों एवं विनियमों के साथ-साथ Kering के मानकों और आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करनी होंगी।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने दायित्वों के किसी भी भाग को उप-अनुबंधित करने या समनुदेशित करने से पहले Kering की अग्रिम लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। अधोषिक्त उप-अनुबंध सख्त रूप से वर्जित है।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों से यह अपेक्षित है कि वे उनकी अपनी खरीद गतिविधियों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ, बिना किसी पक्षपात के और लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में संचालित करें।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को किसी भी व्यावसायिक संबंध की शुरुआत से पूर्व और व्यावसायिक संबंध के दौरान समय-समय पर, नियामक अनुपालन, मानवाधिकारों, तथा सामाजिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का आकलन करने वाली जोखिम-आधारित पद्धति से उनके अपने आपूर्तिकर्ताओं की उचित पड़ताल करनी चाहिए। साथ ही, वित्तीय दृढ़ता, प्रतिष्ठा और संचालन क्षमताओं का भी आकलन किया जाना चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को लागू कानून के अर्थ में खुद को आर्थिक निर्भरता की स्थिति में पड़ने से बचाने के उचित उपाय करने होंगे और यदि वे मानते हैं कि ऐसा कोई जोखिम मौजूद है तो तुरंत Kering को सूचित करना होगा।

नैतिकता और सत्यनिष्ठा: भ्रष्टाचार, रिश्ततखोरी औ प्रभाव के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई

Kering सभी प्रकार के भ्रष्टाचार या प्रभाव के दुरुपयोग के प्रति शून्य-सहनशीलता की नीति रखता है और उन्हें सख्ती से प्रतिबंधित करता है।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए भ्रष्टाचार-विरोध से संबंधित सभी लागू कानूनों, मानकों और विनियमों का अनुपालन करना, उनके आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों की नियमित उचित पड़ताल करना और, जहाँ तक संभव हो या आवश्यक किया गया हो वहाँ तक, अपना खुद का अनुपालन कार्यक्रम लागू करना आवश्यक है।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के लिए अपने कर्मचारियों को नैतिकता और अनुपालन विनियमों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों के कर्मचारियों को व्यवसाय के संचालन में अनुचित बड़त प्राप्त करने या बनाए रखने के उद्देश्य से, सार्वजनिक (सरकारी) अधिकारियों या निजी कंपनियों/संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से या किसी तृतीय-पक्ष के ज़रिए, कोई भी वित्तीय या गैर-वित्तीय अनुचित लाभ, चाहे मूर्त हो या अमूर्त, देने, देने की पेशकश करने, का वादा करने, का अनुरोध करने या को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है, फिर भले ही वह अनुचित बड़त आखिरकार प्राप्त हो या न हो, अथवा भले ही उस कृत्य के फलस्वरूप किसी कर्तव्य या व्यावसायिक गतिविधि का अनुचित निष्पादन हुआ हो या नहीं।

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार Kering के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में अनुचित बड़त या अनुचित प्रभाव प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी उपहार या आतिथ्य का वादा नहीं करेंगे, उसे देने की पेशकश नहीं करेंगे, उसे नहीं देंगे, अथवा उसका अनुरोध नहीं करेंगे या उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बल्कि, उपहार और आतिथ्य का आदान-प्रदान नेक नीयत से और पारदर्शी रूप से, किसी वैध व्यावसायिक उद्देश्य से, परिस्थितियों के अनुरूप उचित रीति से तथा लागू कानूनों, विनियमों और आंतरिक नीतियों का अनुपालन करते हुए किया जाना चाहिए। किसी भी नकद उपहार या नकद समकक्ष की पेशकश नहीं की जा सकती है या उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को प्रतिबंधित करना होगा और सभी लागू प्रतिस्पर्धा नियमों का अनुपालन करना होगा। तदनुसार, आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार कभी-भी (i) कीमत निर्धारण के लिए, बाज़ार या आपूर्ति स्रोतों के सहभाजन के लिए, अथवा उत्पादन या तकनीकी विकास को सीमित करने के लिए वास्तविक/संभावित प्रतिस्पर्धियों के साथ सहमत नहीं होंगे; (ii) वास्तविक/संभावित प्रतिस्पर्धियों से व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना का आदान-प्रदान नहीं करेंगे; या (iii) लागू प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अन्य तालमेलपूर्ण या एकपक्षीय आचरण में संलिप्त नहीं होंगे।

निर्यात नियंत्रणों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का अनुपालन

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को आर्थिक प्रतिबंधों पर लागू विनियमों और आयात-निर्यात नियंत्रण कानूनों का अचूक अनुपालन करना होगा और वे उनसे बचने की कोशिश नहीं करेंगे।

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को कोई भी व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले तृतीय-पक्षों और उनके आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिबंधों और व्यापार-प्रतिषेध सूचियों से मिलान करके जाँच करनी होगी।

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार ऐसे खनिज या अन्य कच्चे माल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं करेंगे जो किसी युद्ध, किसी संघर्ष-चालित अर्थव्यवस्था या सशस्त्र समूहों में योगदान देते हों या जिनका मानवाधिकारों और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। उनसे यह अपेक्षित है कि वे प्रासंगिक विनियमों (संघर्ष खनिजों सहित) का अनुपालन करें, उचित पड़ताल करें और माँगे जाने पर Kering को प्राप्ति तथा आपूर्ति श्रृंखला अभिरक्षा के समर्थक दस्तावेज़ प्रदान करें।

धनशोधन और कर चोरी की रोकथाम

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को हर उस क्षेत्राधिकार जिसमें वे व्यवसाय का संचालन करते हैं, में धनशोधन से संबंधित सभी लागू कानूनों और विनियमों का, विशेष रूप से, जो भी नकद भुगतान सीमाएँ हों उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ अपने पास बनाकर रखने होंगे और जो भी संदिग्ध गतिविधि हो उसकी सूचना देनी होगी।

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार किसी भी प्रकार की कर चोरी या कृत्रिम कर व्यवस्था को सहन नहीं करेंगे।

हितों के टकराव की पहचान और रोकथाम

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को Kering Group के किसी भी सदस्य के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों के दायरे में हितों के सभी टकरावों से या हितों के टकराव का आभास देने वाली स्थितियों से बचना होगा और, अधिक व्यापक रूप से, हितों के टकराव से जुड़े जो भी जोखिम हों उनकी रोकथाम करनी होगी।

डेटा सुरक्षा और डेटा निजता सुनिश्चित करना

आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को सभी लागू डेटा सुरक्षा और डेटा निजता (सम्मिलित रूप से "डेटा संरक्षण") कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना होगा। आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और तृतीय-पक्षों की निजता को सर्वोच्च महत्व देना होगा। वे व्यक्तिगत जानकारी पारदर्शी तरीके से एकत्र करेंगे, उसे लागू कानूनों के अनुरूप ढंग से और जिस उद्देश्य से एकत्र की गई थी उसी के अनुसार प्रक्रमणित करेंगे तथा उसे आवश्यक और अनुमत अवधि तक सुरक्षित ढंग से भंडारित करेंगे। यदि आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार Kering के प्राधिकारीकरण के तहत व्यक्तिगत जानकारी का प्रक्रमण करते हैं, तो वे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे और Kering की डेटा संरक्षण नीतियों का भी अनुपालन करेंगे।

इस उद्देश्य से, आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और नियंत्रण (विशेष रूप से पहचान कार्यविधियों और प्रमाणीकरण तंत्र के ज़रिए), तथा गोपनीय जानकारी के संरक्षण के नियंत्रण सुनिश्चित करने होंगे, और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उक्त जानकारी केवल जानने-की-आवश्यकता के आधार पर सीमित पहुँच अधिकारों के साथ सुरक्षित रूप से भंडारित की जाए। आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को जो भी डेटा उल्लंघन की घटनाएँ हों उनकी समय पर सूचना देने, उनका प्रबंधन करने और निवारण करने में भी सक्षम होना होगा।

4. नियंत्रण और जाँचें



यदि आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार चार्टर में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं, तो लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में तथा मौजूदा करार(रों) (यदि कोई हो/हों) की शर्तों के तहत व्यावसायिक संबंध की समीक्षा की जा सकती है या उसे समाप्त भी किया जा सकता है।

Kering के पास किसी भी आनुबंधिक संबंध में प्रवेश से पहले और/या व्यावसायिक संबंध के दौरान, जाँचें कार्यान्वित करके, आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों द्वारा वर्तमान चार्टर में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करने, जिसमें उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में उक्त अनुपालन की निगरानी करना शामिल है, का अधिकार सुरक्षित है।

इस उद्देश्य से, सभी आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को Kering या विधिवत अधिकृत तृतीय-पक्ष प्रतिनिधि द्वारा अघोषित और घोषित ऑडिट स्वीकार करने पर सहमत होना होगा, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों का और, अधिक व्यापक रूप से, Kering और Houses के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का अनुपालन कर रहे हैं। इन नियंत्रणों में जानकारी और दस्तावेज़ के अनुरोध, ऑडिट, दौरे, उचित पड़ताल, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और जोखिम मैपिंग शामिल हैं तथा ये प्रश्नगत व्यावसायिक संबंध और आपूर्ति श्रृंखला तक सीमित रहेंगे। आपूर्तिकर्ताओं और व्यावसायिक भागीदारों को लागू कानूनों के अनुपालन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों, व्यक्तियों और कार्यस्थलों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करनी होगी।

इन नियंत्रणों को Kering द्वारा जितनी बार उचित समझा जाए उतनी बार दोहराया जा सकता है। Kering Group उचित समझे जाने पर इन रिपोर्टों को आंतरिक रूप से प्रसारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आपूर्तिकर्ता और व्यावसायिक भागीदार इन गतिविधियों के दौरान तथा अपनी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में नेक नीयत और पारदर्शिता के साथ सहयोग करेंगे, और इस चार्टर की आवश्यकताएँ पूरी न होने पर उचित उपचारात्मक उपाय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।



K E R I N G

CREATIVITY IS OUR LEGACY



GUCCI | SAINT LAURENT | BOTTEGA VENETA | BALENCIAGA | MCQUEEN | BRIONI |
BOUCHERON | POMELLATO | DODO | QEELIN | GINORI 1735 |
KERING EYEWEAR